न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 60/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
दानाराम पुत्र खंगारजी जाति मेघवाल निवासी सनपुर तहसील व जिला सिरोही राज.		स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह आढा
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर श्रीमती निधि कोठारी
पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) न्यायालय हाजा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सिरोही (राज०)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 31–8–2–2020

प्रार्थी ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 27–7–2020 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा सनपुर पटवार हल्का सनपुर तहसील व जिला सिरोही मे खसरा नबर 11 रकबा 0.5300 हेक्टेयर ,खसरा नंबर 113 रकबा 0.1500 हेक्टेयर खसरा नंबर 1665 रकबा 1.6200 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.30 हेक्टेयर की उक्त वर्णित राजस्व आराजी के जमाबंदी संवत 2071–2074 मे कमला पुत्री केरा हिस्सा 1/8 ,देवाराम पुत्र केरा 1/8 ,मीरा पत्नी केरा हिस्सा 1/8 ,वीराराम पुत्र केरा हिससा 1/8 व दाना पुत्र राजा हिस्सा 1/2 दर्ज हे। इस प्रकार वर्णित कृषि आराजी मे प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा दर्ज है। उक्त वर्णितज कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर 88 ,90 व 1157/1501 कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 4 विस्वा राजिया वल्द भूता मेघवाल के नाम से दर्ज थी । राजा पुत्र भूता के दो पुत्र केरा व खंगार थे ,जिसमे से केरा का देहावसान हो चुका है ,जिसके कायम मुकाम श्रीमती कमला ,देवाराम ,मीरा ,वीराराम है। इसी प्रकार राजा के दुसरे पुत्र खंगार का भी देहावसान हो चुका है। जिसका पुत्र प्रार्थी दानाराम है। स्व. राजा पुत्र भूता के देहावसान पश्चात उसके कायम मुकाम व वारिसान के नाम नामान्तकरण दायर किया गया ,उस समय केरा व दाना पिसरान राजा के नाम से नामान्तकरण दायर कर दिया गया जबकि केरा पुत्र राजा 1/2 व दाना पुत्र खगार 1/2 दर्ज करना चाहिये था । इस प्रकार दाना के पिता का नाम खंगार की जगह त्रुटिवश राजा दर्ज कर दिया गया एवं उक्त त्रुटि नामान्तकरण दायर करने के पश्चात से लगातार राजस्व रेकर्ड मे चली आ रही है। गांव सनपुर मे ही खाता संख्या 330 की कृषि भूमि आई हुई जिसमे दाना के पिता का नाम सही खंगार लिखा हुआ है। लेकिन वर्णित मकृषि भूमि मे प्रार्थी के पिता खंगार की जगह दादा का नाम राजा त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया हे। प्रार्थी के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र बना हुआ है। प्रार्थी का राशनकार्ड बना हुा है तथा प्रार्थी का आधार कार्ड बना हुआ है तथा बैंक मे खता भी है। तथा खाता संख्या 330 की जमाबंदी आदि सभी दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम दानाराम व उसके पिता का नाम खंगारराम दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी मे प्रार्थी के पिता का नाम खंगार की जगह राजा दर्ज कर दिया है। उक्त त्रुटि राजस्व रेकर्ड का संधारण करते समय हुई है, जिससमे प्रार्थी को काफी पेचिदगियों व विवादो से गुजरना पड रहा है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित होना पड रहा है। जिससे उक्त दुरूस्ती को न्यायहित मे संशोधन किया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित राजस्व आराजी मे दाना पुत्र राजा के स्थान पर दानाराम पुत्र खंगारराम खातेदार करने के आदेश प्रदान करावें व माफिक आदेश रेकर्ड मे रद्दोबदल करने के अप्रार्थी को निर्देश दिलाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फर्द दस्तावेज सूची मे वर्णित अनुसार जमाबंदी संवत 2071 से 2074 ,नामान्तकरण सं.507 , जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खसरा 407– 411 ,जमाबंदी संवत 2071–2074 खसरा संख्या 416–423 जमाबंदी संवत 2023 से 2026 तथा जमाबंदी संवत 2036 से 2040 पहचान पत्र आधार कार्ड की नकल का गहनतापूर्वक अवलोकन करने से प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दिनांक 5–8–2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्राथी तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–8–2020 अप्रार्थी को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 31–8–2020 को अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र कमांक रीडर/2020/711 दिनांक 26–8–2020 के द्वारा जवाब व संलग्न जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 30 ,खाता संख्या 186 तथा मौका फर्द दिनांक 11–8–2020 पटवारी हल्का सनपुर द्वारा मौबिरान के उपस्थिति मे बनाई की पेश करने से शा.मि. किया गया ।

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार मौजा सनपुर की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 186 खसरा नंबर 111 113 ,1665 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3000 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसकी जमाबंदी नकल संलग्न है।प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 2 का कथन सही होना बताया है। बिंन्दु संख्या 3 का कथन प्रार्थी को सिद्व करना तथा बिन्दु संख्या 4 के संबंध मे पटवारी हल्का द्वारा तैयार पेढीपत्रक व मोका फर्द मे वर्णित है। तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 के अनुसार सनपुर के जमाबंदी खाता संख्या 330 मे दाना पुत्र खंगार सही दर्ज है जिसकी जमाबंदी नकल संलग्न है।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे दिनांक 31–8–2020 को वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (ना[illegible] विचाराधीन प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर [illegible] मनन किया । विचाराधीन प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का भी गहनतापूर्वक अध्ययन व मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण [illegible] विवेचन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड के आधार पर विचारण प्रकरण के की वर्तमान वस्तुस्थिति [illegible] इस प्रकार सामने आये है कि अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह निवेदन [illegible] कि प्रार्थनापत्र के बिन्दु सं[illegible] के अनुसार मौजा सनपुर की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 186 खसरा नंबर 111 113 ,1665 [illegible] 3 कुल रकबा 2.3000 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसकी जमाबंदी नकल संलग्न है।प्र[illegible] के बिन्दु संख्या 2 का कथन सही होना बताया है। बिंन्दु संख्या 3 का कथन प्रार्थी को सिद्व करना तथा बिन्दु संख्या 4 के संबंध मे पटवारी हल्का द्वारा तैयार पेढीपत्रक व मोका फर्द मे वर्णित है। तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 के अनुसार सनपुर के जमाबंदी खाता संख्या 330 मे दाना पुत्र खंगार सही दर्ज होना तहसीलदार सिरोही ने बताया है। जवाब के संलग्न मौका फर्द मे अंकित पेढीपत्रक के अनुसार प्रार्थी दानाराम के पिता का नाम खंगारराम है तथा खंगारराम के पिता का नाम राजा पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:45:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

भूता है इस प्रकार प्रार्थी दाना के दादा राजा का नाम प्रार्थी के पिता के रूप मे अंकित हुआ है वह गलत व त्रुटिपूर्ण अंकित हुआ है। उक्त मौका फर्द के मौके पर उपस्थित मौतबिरानों द्वारा बतलाये अनुसार एवं दानाराम प्रार्थी स्वंय के दस्तावेज आधार कार्ड व राशनकार्ड व पहचानपत्र मे भी प्रार्थी का नाम दानाराम पुत्र खंगार ही दर्ज है। जबकि दानाराम पुत्र राजा नाम का राजाजी का कोई वारिसदार भी नही होना बताया है। पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे तहसीलदार सिरोही के जवाब व संलग्न मौका फर्द मे अंकित पेढीपत्रक व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार करने पर सहमति जाहिर की है। उपरोक्त राजस्व रेकर्ड मे त्रुटि सेटलमेण्ट विभाग व राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से होना जाहिर होता है। तथा उक्त राजस्व रेकर्ड मे त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान होने तथा मामला कानूनी उलझनो मे पडने की संभावना है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण बाबत राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा मौजा सनपुर पटवार हल्का सनपुर तहसील व जिला सिरोही मे खसरा नबर 11 रकबा 0.5300 हेक्टेयर ,खसरा नंबर 113 रकबा 0.1500 हेक्टेयर खसरा नंबर 1665 रकबा 1.6200 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.30 हेक्टेयर की संयुक्त खातेदारी कृषि आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थी दाना पुत्र राजा के स्थान पर दानाराम पुत्र खंगारराम खातेदार के रूप मे अंकित करें व माफिक आदेश रेकर्ड मे रद्दोबदल कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट इस न्यायालय मे शीघ्र भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 31–8–2020 को सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 31–8–2020 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:45:34 IST
Reason: SelfAttested